न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 282 सन 2021

अनवान :–

1. अमरसिह पुत्र रणसिह जाति मेधवाल निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. गुडडी पत्नी स्व रणसिह जाति मेधवाल निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री सजय कुमार अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 20/09/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 75/2015 की कुल 5.8170हैक में से 1/5 हिस्सा एवं रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 197/189 की कुल 3.0600हैक एवं खाता संख्या 209/255 की कुल 6.8290हैक में 1/5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रणसिह पुत्र श्योलाल के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रणसिह पुत्र श्योलाल के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 का पति है रणसिह पुत्र श्योलाल को देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 है जो रणसिह पुत्र श्योलाल के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की रणसिह पुत्र श्योलाल जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि रणसिह पुत्र श्योलाल के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 जो रणसिह पुत्र श्योलाल के नाम से दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 के नाम उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 75/2015 की कुल 5.8170हैक में से 1/5 हिस्सा एवं रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 197/189 की कुल 3.0600हैक एवं खाता

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 209/255 की कुल 6.8290हैक में 1/5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रणसिह पुत्र श्योलाल के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रणसिह पुत्र श्योलाल के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 का पति है रणसिह पुत्र श्योलाल को देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 है जो रणसिह पुत्र श्योलाल के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है।

जिसे अनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 75/2015 की कुल 5.8170हैक में से 1/5 हिस्सा एवं रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 197/189 की कुल 3.0600हैक एवं खाता संख्या 209/255 की कुल 6.8290हैक में 1/5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रणसिह पुत्र श्योलाल के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसके पिता रणसिह पुत्र श्योलाल के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है रणसिह पुत्र श्योलाल के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 है जो अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है वादी ने अपने कथनों के समर्थन में रणसिह पुत्र श्योलाल का मृत्यू प्रमाण पत्र पेश किया जिससे वादी के कथनों की पुष्टि होती है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 75/215 की कुल 5.8170हैक में से 1/5 हिस्सा भूमि रणसिह के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 एवं रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 197/189 की कुल 3.0600हैक भूमि एवं खाता संख्या 209/255 की कुल 6.8290हैक में 1/5 हिस्सा भूमि रणसिह के नाम से दर्ज का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28/9/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. अमरसिह पुत्र रणसिह जाति मेधवाल निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 गुडडी पत्नी स्व रणसिह जाति मेधवाल निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 570 सन 2021 निर्णय दिनांक– 28/09/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 75/215 की कुल 5.8170हैक में से 1/5 हिस्सा भूमि रणसिह के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 एवं रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 197/189 की कुल 3.0600हैक भूमि एवं खाता संख्या 209/255 की कुल 6.8290हैक में 1/5 हिस्सा भूमि रणसिह के नाम से दर्ज का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/09/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते